**GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)**

**MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)**

**RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)**

****

**No. 2013/TG-I/20/P/OBHS** **New Delhi dated 19 .04.2016**

**General Managers,**
**All Zonal Railways.**

**(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 19 OF 2016)**

**Sub: Earmarking of accommodation for On-board Housekeeping Staff (OBHS).**

Please refer to Board's instructions of even number dated 22.02.2013 (Commercial Circular No. 15 of 2013) on the subject quoted above. The issue regarding earmarking of accommodation for OBHS staff has been reviewed and the revised instructions are as under:-

2. It has been decided to earmark two berths/seats for OBHS staff as under:-

(i) Last two side berths/last two seats of the lowest reserved class available in the train should be earmarked for OBHS staff, e.g. in the train having Sleeper Class as the lowest accommodation, berth nos. 71 and 72 in S1 coach should be earmarked for them. Similarly, in the trains having AC Sleeper accommodation only, the last two side berths in B-1 coach should be earmarked for OBHS staff.

(ii) The list of trains in which OBHS facility has been provided will be forwarded by Mechanical Department to Commercial Department duly indicating whether this facility is being provided through contractor or through Railway staff. As and when the list is updated owing to addition/deletion of trains from under the OBHS scheme, same will also be intimated by concerned zonal railway's mechanical department.

(iii) In case of non-Railway OBHS staff, the contractor will be asked to deposit the fare for these berths/seats one month in advance. A flag will be put in the system to confirm whether payment has been received from the contractor or not. Payment will be made by the contractor directly to PRS operator, who would earmark the seats in both the directions for OBHS staff for the period of one month from the date of such payment. In case of OBHS staff not able to board the train, intimation should be given to C&W control, who in turn will inform to Commercial Control so that earmarked berth can be released to normal passengers, if required.

(iv) In the PRS chart the berth would be shown as 'For OBHS staff'. Name of the OBHS staff are not required to be printed on the chart.

(v) A provision for the cost of this fare will be kept in the contract at the time of calling of tender by Mechanical Department. In case of misuse of these berths/seats established, following shall be done:

a. Concerned OBHS staff will be debarred from the contract and would no longer work as OBHS staff for the entire contract period.

**Contd.2/-**

b. In case of misuse of these berths, the penalty of fare equivalent to 10 times the fare of the class for earmarked the berths can be imposed. After three such instances of misuse, the controlling officer should re-consider the penalty and enhance it suitably and also consider termination of the contract.

c. In case of non-turning up of OBHS staff, these berths will be released to RAC/waitlisted passengers and the question of refund of the fare does not arise as the contractor would be lacking in providing the facility for which he has entered into contract with the Railways

(vi) In case of departmental OBHS staff, D&A action as in case of pass rule shall be initiated.

(Prashant Kumar)
Director Mech. Engg.(Coaching)
Railway Board

( Vikram singh)
Director Passenger Marketing,
Railway Board

**Copy to:**

**No. 2013/TG-I/20/P/OBHS**

**New Delhi, dated 19.04.2016**

**FA & CAO, All Zonal Railways.**
**Director(Audit), All Zonal Railways.**

19\4\16
**for Financial Commissioner/Railways**

**Copy to:**

1. CCMs/CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. Chief Mechanical Engineers, all Zonal Railways.
3. ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), PPS/F(C), OSD/TC, F(C) & V(SS) Branch of Railway Board.
4. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
5. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
6. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
7. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
8. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
9. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
10. General Secretary, All India Railwaymen Federation ( AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
11. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
13. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
14. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

**भारत सरकार**
**रेल मंत्रालय**
**(रेलवे बोर्ड)**

**सं. 2013/टीजी-I/20/पी/ओबीएचएस** **नई दिल्ली, दिनांक 19.04.2016**

**महाप्रबंधक,**
**सभी क्षेत्रीय रेलें.**

**(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 19)**

**विषय: ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ (ओबीएचएस) के लिए एकोमोडेशन निश्चित करना।**

कृपया उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 22.02.2013 के समसंख्यक अनुदेश (2013 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 15) का अवलोकन करें। ओबीएचएस कर्मचारियों के लिए एकोमोडेशन निश्चित करने से संबंधित मामले की समीक्षा की गई है और इस संबंध में संशोधित अनुदेश निम्नानुसार है:-

2. ओबीएचएस कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार दो बर्थ/सीट निश्चित करने का विनिश्चय किया गया है:-

(i) गाड़ी में उपलब्ध सबसे निचली आरक्षित श्रेणी की अंतिम दो साइड बर्थ/अंतिम दो सीट ओबीएचएस कर्मचारियों के लिए निश्चित की जानी चाहिए, जैसे यदि किसी गाड़ी में सबसे निचली श्रेणी शयनयान श्रेणी हो तो एस1 कोच में बर्थ सं. 71 और 72 उनके लिए चिश्चित की जानी चाहिए। इसी प्रकार, यदि किसी गाड़ी में केवल वातानुकूलित शयनयान हो तो बी-1 कोच की अंतिम दो साइड बर्थों को ओबीएचएस कर्मचारियों के लिए निश्चित किया जाना चाहिए।

(ii) उन गाडियों, जिनमें ओबीएचएस सुविधा मुहैया कराई गई है, की सूची यांत्रिक विभाग द्वारा वाणिज्यिक विभाग को भेजी जाएगी जिसमें विधिवत रूप से यह दर्शाया जाएगा कि यह सुविधा ठेकेदार द्वारा अथवा रेल कर्मचारी द्वारा मुहैया करवाई जा रही है। जब कभी ओबीएचएस स्कीम में से गाडियों को शामिल किए जाने/हटाए जाने के कारण सूची को अपडेट किया जाएगा तो संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के यांत्रिक विभाग द्वारा इसे भी सूचित किया जाएगा।

(iii) यदि यह सुविधा गैर-रेलवे ओबीएचएस कर्मचारी द्वारा मुहैया कराई जा रही है तो ठेकेदार को इन बर्थों/सीटों का किराया एक माह पहले जमा करने के लिए कहा जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ठेकेदार से भुगतान प्राप्त हुआ अथवा नहीं, सिस्टम में एक फ्लैग लगा दिया जाएगा। ठेकेदार द्वारा भुगतान सीधे पीआरएस ऑपरेटर को दिया जाएगा जो इस प्रकार के भुगतान की तिथि से एक माह की अवधि के लिए ओबीएचएस कर्मचारियों के लिए दोनों दिशाओं में सीट निश्चित करेगा। यदि ओबीएचएस कर्मचारी गाड़ी में चढ़ने में समर्थ न हो पाए तो सी एण्ड डब्ल्यू नियंत्रण को उसकी सूचना देनी चाहिए जो इसकी सूचना वाणिज्यिक नियंत्रक को देगा ताकि यदि अपेक्षित हो तो उस बर्थ को आम यात्रियों को दिया जा सके।

(iv) पीआरएस चार्ट में बर्थ को 'ओबीएचएस कर्मचारी के लिए' दर्शाया जाएगा। चार्ट में ओबीएचएस कर्मचारी का नाम छापने की आवश्यकता नहीं है।

(v) यांत्रिक विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित करते समय ठेके में इस किराए की लागत का प्रावधान रखा जाना चाहिए। इन बर्थों/सीटों के दुरूपयोग संबंधी मामले के सिद्ध होने पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:

क. संबंधित ओबीएचएस कर्मचारी को ठेके से हटा दिया जाएगा और वह संपूर्ण ठेका-अवधि में ओबीएचएस कर्मचारी के रूप में काम नहीं करेगा।

ख. इन बर्थों का दुरूपयोग किए जाने की स्थिति में चिह्नित बर्थों की श्रेणी के किराए के दस गुना किराए का जुर्माना लगाया जाएगा। दुरूपयोग की ऐसी तीन घटनाओं के बाद नियंत्रण अधिकारी को

जुर्माने पर पुन: विचार करना चाहिए और उसे उपयुक्त रूप से बढ़ाना चाहिए और ठेका समाप्त करने पर भी विचार करना चाहिए।

ग. ओबीएचएस कर्मचारी के नहीं आने पर इन बर्थों को आरएसी/प्रतीक्षासूची वाले यात्रियों को जारी कर दिया जाएगा और किराया वापस करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि ठेकेदार उन सुविधाओं को मुहैया कराने में विफल होगा जिसके लिए उसने रेलवे के साथ करार किया था।

(vi) यदि ओबीएचएस कर्मचारी विभाग का हो तो पास नियमों के अनुसार अनुशासन एवं अपील की कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

(प्रशांत कुमार)
निदेशक यांत्रिक इंजीनियरी (कोचिंग)
रेलवे बोर्ड

(विक्रम सिंह)
निदेशक यात्री विपणन,
रेलवे बोर्ड

**प्रतिलिपि प्रेषित:**

**सं. 2013/टीजी-I/20/पी/ओबीएचएस** **नई दिल्ली, दिनांक 19.04.2016**

**वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें**
**निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें**

कृते वित्त (आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीसीएम/सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें.
2. मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, सभी क्षेत्रीय रेलें.
3. एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ सी, निदेशक वित्त (सी), पीपीएस/एफ(सी), वि. का. अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड.
4. प्रबंध निदेशक/आई आर सी टी सी, बी 148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
5. महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.
6. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा.
7. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर.
8. निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिच्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 2260011.
9. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली.
10. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली.
11. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370-ए, रेल भवन, नई दिल्ली.
12. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली.
13. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
14. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.